



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () आ.राज. (सा.प्र.) / ननिज / 2013 / 328

दिनांक:- 1-2-2013

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर यूनियोपल साईट, साईज (16'X8' एवं 30'X15'), कियोस्क बोर्ड (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं लघु विज्ञापन पट्ट पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स नीलामी द्वारा लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

नीलामी दिनांक 21.02.2013 से 22.02.2013 एवं 25.02.2013 तक रोजाना प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक को की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	कियोस्क- मोती डूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, सांगानेर जोन, मानसरोवर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	21.02.2013	कियोस्क के 1,00,000 /- रु. (एक लाख रु.) प्रत्येक जोन कियोस्क
2.	यूनियोपल- मोती डूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, सांगानेर जोन, मानसरोवर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व) एवं ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर)	22.02.2013	16'X8' साईज के यूनियोपल के 5,000 /- रु. (पांच हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनियोपल के 15,000 /- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट ट्राईऐंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड़ आईलैण्ड पर) के 5,000 /- रु. (पांच हजार रु.)
3.	लघु विज्ञापन पट्ट एवं शेष रहे यूनियोपल्स, कियोस्क आदि।	25.02.2013	शेष उपरोक्तानुसार।

P.T.O.

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

1. उपरोक्त यूनिपोल, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं लघु विज्ञापन पट्ट पर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
2. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यूनिपोल, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं लघु विज्ञापन पट्ट की नीलामी एकसाथ की जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
4. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
5. यूनिपोलों, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं लघु विज्ञापन पट्ट की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकेगी।
6. नीलामी की अन्य शर्तें एवं यूनिपोल, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर) एवं लघु विज्ञापन पट्ट की सूची व शर्तों की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।

प्रतिलिपि :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में छपवाने की व्यवस्था करें।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर